

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 502 सन 2019
अनवान :-

1. सतीश कुमार पुत्र विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. विजयकुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रविना पुत्री विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
4. रजनी पुत्री विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बरानी के प0न0 305/399(11) किला न0 16 ,17 ,24 ,25/1. 0120 हैक प0न0 306/399(12) किला न0 20/0.253 ,21/0.2530 प0न0 305/400(24) किला न0 4/0.215 ,7/0.2530 ,14/0.2530 कुल 2.2770 हैक एवं चक 6 बरानी के प0न0 303/401(39) किला न0 14/0.2530 ,15/0.228 ,16/1 की 0.2160 ,17/1 की 0.240 प0न0 304/402(55) किला न0 4 ता 7/1,0120 ,11/2 की 0.0120 ,12/2 की 0.0120 ,13/2 की 0.0120 ,14/0.2530 कुल 2.2870 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नत्थुराम पि0मु.विरबल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी-वादी के दादा नत्थुराम पि0मु.विरबल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नत्थुराम पि0मु.विरबल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नत्थुराम पि०मु.विरवल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के प०न० 305/399(11) किला न० 16 ,17 ,24 ,25/1.0120 हैक प०न० 306/399(12) किला न० 20/0.253 ,21/0.2530 प०न० 305/400(24) किला न० 4/0.215 ,7/0.2530 ,14/0.2530 कुल 2.2770 हैक एवं चक 6 बारानी के प०न० 303/401(39) किला न० 14/0.2530 ,15/0.228 ,16/1 की 0.2160 ,17/1 की 0.240 प०न० 304/402(55) किला न० 4 ता 7/1.0120 ,11/2 की 0.0120 ,12/2 की 0.0120 , 13/2 की 0.0120 ,14/0.2530 कुल 2.2870 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नत्थुराम पि०मु.विरवल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नत्थुराम पि०मु.विरवल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नत्थुराम पि०मु.विरवल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के प०न० 305/399(11) किला न० 16 ,17 ,24 ,25/1.0120 हैक प०न० 306/399(12) किला न० 20/0.253 ,21/0.2530 प०न० 305/400(24) किला न० 4/0.215 ,7/0.2530 ,14/0.2530 कुल 2.2770 हैक एवं चक 6 बारानी के प०न०

उपरोक्त अधिकारी
तोहर

303/401(39) किला न० 14/0.2530 ,15/0.228 ,16/1 की 0.2160 ,17/1 की 0.240
प०न० 304/402(55) किला न० 4 ता 7/1.0120 ,11/2 की 0.0120 ,12/2 की 0.0120 ,
13/2 की 0.0120 ,14/0.2530 ,कुल 2.2870 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के
पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

रोही मौजा 6 बारानी की जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि नत्थुराम पि०मु.विरवल के
नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नत्थुराम पि०मु.विरवल के नाम से
दर्ज है वादी के दादा नत्थुराम पि०मु.विरवल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि
वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि
वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु
उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है
अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि
में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का
त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 स्वयं उपस्थित आकर वादी
के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि
वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से बाहमी
बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य
सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित
होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग
किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी
न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार
करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत
साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री
किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के प०न० 305/399(11)
किला न० 16 ,17 ,24 ,25/1.0120 है व प०न० 306/399(12) किला न० 20/0.253 ,21/0.
2530 प०न० 305/400(24) किला न० 4/0.215 ,7/0.2530 ,14/0.2530 कुल 2.2770 है व
भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को
खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु
ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि
भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद
उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल
मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल
दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जावा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सतीश कुमार पुत्र विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. विजयकुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रविना पुत्री विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्री विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
4. रजनी पुत्री विजयकुमार जाति जाट साकिन पिचकराई तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 502 सन 2019 निर्णय दिनांक- 25/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बाराणी के प0न0 305/399(11) किला न0 16, 17, 24, 25/1, 0120 हैव प0न0 306/399(12) किला न0 20/0.253, 21/0.2530 प0न0 305/400(24) किला न0 4/0.215, 7/0.2530, 14/0.2530 कुल 2.2770 हैव भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)